

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) धमतरी

// आदेश //

क्रमांक 517/वाचक/कलेक्टर (भू-अभिलेख)/2015

धमतरी दिनांक 23/11/2015

रा.प्र.क्र. 93 अ/3 वर्ष 2015-16

छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तहसील नगरी स्थित वन ग्राम आमामुड़ा प.ह.नं.32 डुबान/विरान होने के कारण वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, अतः उक्त वन ग्राम को, एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

hp
कलेक्टर,

जिला धमतरी

पृ.क्रमांक 518/वाचक/कलेक्टर (भू-अभिलेख)/2015

धमतरी दिनांक 23/11/2015

प्रतिलिपी :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल धमतरी को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
4. उपनिदेशक उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद को सूचनार्थ एवं अग्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमतरी/नगरी को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
6. कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग रुद्री को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
7. तहसीलदार, धमतरी/नगरी को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमतरी/नगरी को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
9. अधीक्षक, भू-अभिलेख को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
10. जिला जनसंपर्क अधिकारी धमतरी की ओर दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

hp

कलेक्टर,

जिला धमतरी